प्रेस विज्ञप्ति
09/06/2026

ईडी ने जस्टिस लोढ़ा समिति को पीएसीएल की 9,420.57 करोड़ रुपये मूल्य की 282 संपत्तियों को वापस करने में मदद की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने ईडी के द्वारा जस्टिस लोढ़ा समिति को **9,420.57 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य की 282 अचल संपत्तियाँ** वापिस लौटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई लाखों भोले-भाले निवेशकों को उनके धन वापस दिलवाने के उद्देश्य से धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में, ईडी ने लगभग **1595.85 करोड़ रुपये** की संपत्तियों को कुर्क किया है, जिससे पीएसीएल मामले में कुल कुर्की का मूल्य **28,626 करोड़ रुपये** हो गया है। इन कुर्क संपत्तियों में भारत और विदेश (ऑस्ट्रेलिया सहित) स्थित संपत्तियाँ शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियाँ मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, उसकी समूह/सहयोगी कंपनियों, और दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू के परिवार के सदस्यों/सहयोगियों के नाम पर हैं, जिनमें बरिंदर कौर (पुत्री), हरसतिंदर पाल सिंह हेयर (दामाद), सुखविंदर कौर (पुत्री), गुरप्रताप सिंह (दामाद), और प्रेम कौर (पत्नी) शामिल हैं।

यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), द्वारा पीएसीएल लिमिटेड व उसके प्रमोटरों के विरुद्ध लाखों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ। सीबीआई द्वारा दर्ज आरोप-पत्र तथा पूरक आरोप-पत्र के अनुसार, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड व पीएसीएल लिमिटेड, दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू व उनके साथियों के नियंत्रण में, पूरे भारत में निवेशकों से 68,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र करके बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी सामूहिक निवेश योजन चला रहे थे।

यह योजना कैश डाउन पेमेंट और किश्त आधारित योजना के ज़रिए बनाई गई थी, जिसमें गुमराह करने वाले दस्तावेजों जैसे करारनामा, पावर ऑफ़ अटॉर्नी व अन्य इंस्ट्रूमेंट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए उकसाया गया था। कई मामलों में, बिना किसी स्वामित्व के पंजीकरण/आवंटन पत्र जारी किए गए, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। एक बड़ी धनराशि —लगभग 48,000 करोड़ रुपये— का भुगतान अभी भी भोले-भाले निवेशकों को किया जाना बाकी है।

उक्त मामले में, सिविल अपील संख्या 13301/2015 (सुब्रत भट्टाचार्य बनाम सेबी) में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 02.02.2016 के अपने आदेश के माध्यम से सेबी को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, ताकि पीएसीएल द्वारा खरीदी गई भूमि का निपटान किया जा सके और बिक्री की राशि निवेशकों में वितरित की जा सके। अतः, ऐसे एसेट्स के लिक्विडेशन और रेस्टिट्यूशन की देखरेख के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति का गठन किया गया।

अनुसूचित अपराधों के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिवंगत श्री निर्मल सिंह भंगू, मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड, मेसर्स पीजीएफ लिमिटेड व अन्य के विरुद्ध दिनांक की 26.07.2016 ईसीआईआर दर्ज की। ईडी की जांच से पता चला कि अपराध की आय को प्रणालीगत तरीके से एक-दूसरे से जुड़ी संस्थाओं के नेटवर्क के ज़रिए विपथित व स्तरीकृत किया गया, जिनमें से कई भंगू परिवार और उनके करीबी सहयोगियों के फायदे वाले मालिकाना हक या नियंत्रण में थीं। बाद में इन धनराशियों का इस्तेमाल कंपनियों, रिश्तेदारों और प्रॉक्सी के नाम पर भारत और विदेश में अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया।

ईडी ने 10.09.2018 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा लिया गया है। इसके अलावा, सुखविंदर कौर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की पुत्री) और गुरप्रताप सिंह (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद) के विरुद्ध भगौड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओए) कार्यवाही शुरू की गई है।

ईडी ने हरसतिंदर पाल सिंह हेयर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद) समेत मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, बरिंदर कौर (पुत्री) और प्रेम कौर (पत्नी) के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए हैं।

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा वर्तमान बाजार मूल्य लगभग **9,420.57 करोड़ रुपये** की **282 संपत्तियों** को वापस करने का आदेश पीएसीएल योजना के तहत ठगे गए लाखों निवेशकों को अपराध से अर्जित आय की वसूली और वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईडी विधि सम्मत तरीके से अपराध से अर्जित आय की पहचान करने, उसे कुर्क करने और उसकी वापसी करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच जारी है।